रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938
No. 169] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम 31 मार्च, 2018 तक लागू रहेंगे।

(3) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**

(1) इन विनियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 से है;

(ख) "बोर्ड" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से है;

(ग) "जीटीए" का अर्थ ट्रांसपोर्टर और शिपर के बीच हुए गैस परिवहन करार से है;

(घ) "असंतुलन प्रबंधन सेवा" का अर्थ उन सेवाओं से है जो ग्राहकों या शिपर को उनके असंतुलन का व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन करने में मदद करती है;

(ङ.) "शिपर" का अर्थ उस उपभोक्ता, विनपणनकर्ता या उस कंपनी से है जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का उपयोग करता है;

(च) "ट्रांसपोर्टर" का अर्थ उस कंपनी से है जिसे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए बोर्ड द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

(2) प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को विनियमों में परिभाषित किया गया हो, का क्रमश: अधिनियम या नियमों या विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, में दर्शाया गया अर्थ होगा।

3. **अनुप्रयोग**

ये विनियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 4, 17 और 18 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर लागू होंगे।

4. **असंतुलन प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निबंधन एवं शर्तें**

(1) ट्रांसपोर्टर अपनी तकनीकी और प्रचालनात्मक रूप से व्यवहार्य सीमा तक शिपर्स को परिवहन असंतुलन का प्रबंधन करने के लिए आस्थगित सुपुर्दगी सेवाओं के रूप में असंतुलन प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस उद्देश्य के लिए आस्थगित सुपुर्दगी सेवा वह होती है जिसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टर और शिपर एक पृथक करार के अंतर्गत शिपर से प्राकृतिक गैस मात्रा को पाइपलाइन में प्राप्त करने और कुछ दिनों के बाद ट्रांसपोर्टर द्वारा शिपर को आस्थगित आधार पर इसकी सुपुर्दगी करने के लिए दिवस-वार योजना पर सहमति देता है, बशर्ते कि पाइपलाइन क्षमता उपलब्ध हो।

(2) ट्रांसपोर्टर भेदभाव रहित आधार पर उप-विनियम (1) में उल्लिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराएगा लेकिन इससे अन्य शिपर्स के साथ हुए उसके गैस परिवहन करारों के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता प्रभावित नहीं होगी।

(3) ट्रांसपोर्टर ऐसी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले शिपर से उप-विनियम (1) में उल्लिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुल्क ले सकता है, जहां सेवा का प्रभार ऐसी ली गई सेवा के दिनों की संख्या पर आधारित होगा।

(4) ट्रांसपोर्टर ने शिपर के साथ हुए अपने करार में उप-विनियम (1) में उल्लिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाओं के प्रभारों का उल्लेख करेगा लेकिन ऐसा प्रभार संगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर लागू परिवहन टैरिफ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(5) उप-विनियम (1) में उल्लिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाओं से ट्रांसपोर्टर द्वारा प्राप्त राशि को बोर्ड के संगत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पाइपलाइन के परिवहन टैरिफ के अलावा रखे जाने की अनुमति दी जाएगी।

(6) यदि कोई ट्रांसपोर्टर उप-विनियम (1) में उल्लिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाओं के लिए शिपर से प्राप्त अनुरोध को मना करता है, तो ट्रांसपोर्टर द्वारा शिपर को मना करने के कारण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) ट्रांसपोर्टर उप-विनियम (1) में उल्लिखित असंतुलन प्रबंधन सेवाओं पर सूचना उपलब्ध कराएगा तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विवरण के जरिए बोर्ड को वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी सेवाओं से प्राप्त राशि को संगत वित्तीय वर्ष के अंत तक साठ दिनों के अंदर सूचना देगा।

(8) बोर्ड ट्रांसपोर्टर को ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जिस पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा, पर विनियमों में असंतुलन प्रबंधन सेवाओं को शामिल करने की दृष्टि से समय-समय पर प्रायोगिक आधार पर अन्य असंतुलन प्रबंधन सेवाओं (आस्थगित सुपुर्दगी सेवाओं के अलावा) के लिए परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति दे सकता है।

5. **विनियमों की व्याख्या**

यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./51]

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2016

F. No. PNGRB/M(C)/48.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016.

(2) These regulations shall remain applicable till 31^{st} March, 2018.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "GTA" means Gas Transportation Agreement between transporter and shipper;

(d) "Imbalance Management Services" means such services that enable customers or shippers to manage their imbalances in an orderly fashion;

(e) "shipper" means a consumer, a marketer or any entity which utilizes the capacity in the natural gas pipeline;

(f) "transporter" means an entity authorized by the Board or authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding a natural gas pipeline.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. Application

These regulations shall apply to a natural gas pipeline covered under the provisions of regulations 4, 17 and 18 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

4. Terms and conditions for providing imbalance management services

(1) A transporter shall provide, to the extent it is technically and operationally feasible, imbalance management services being deferred delivery services to facilitate shippers to manage transportation imbalances. For this purpose, a deferred delivery service is one under which a transporter and a shipper, under a separate agreement, agree on a day-wise plan for receipt of the shipper's natural gas quantities into the pipeline and for its delivery by the transporter to shipper on a deferred basis after a few days subject to pipeline capacity availability.

(2) The transporter shall provide the facility of the imbalance management services referred to in sub-regulation (1) on a non-discriminatory basis but without affecting its ability to meet the rights and obligations under its gas transportation agreements with other shippers.

(3) The transporter may charge a fee for providing the imbalance management services referred to in sub-regulation (1) from the shipper utilising such service where the charge for the service shall be based on the number of days such service is utilised.

(4) The transporter in its agreement with the shipper shall mention the charges for the imbalance management services referred to in sub-regulation (1) but such charge shall not exceed twenty five per cent. of the applicable transportation tariff for the relevant natural gas pipeline.

(5) The amount received by the transporter from the imbalance management services referred to in sub-regulation (1) shall be allowed to be retained by it over and above the transportation tariff for the pipeline in accordance with the provisions of the relevant regulations of the Board.

(6) In case a transporter denies a request from the shipper for the imbalance management services referred to in sub-regulation (1), the reasons for denial shall be provided by the transporter to the shipper.

(7) A transporter shall provide information on the details of the imbalance management services referred to in sub-regulation (1) and the amount received from such services for the financial year to the Board through a statement certified by a Chartered Accountant to be filed within sixty days from the end of the relevant financial year.

(8) The Board may permit a transporter to undertake projects for other imbalance management services (besides deferred delivery services) from time to time on a pilot basis with a view to include such imbalance management services in the regulations on such terms and conditions as may be decided by the Board.

5. Interpretation of regulations

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT.-III/4/Exty./51]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.